

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री के०आर० खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -
25/2017/प्रार्थना पत्र

तारीख दायर
07.03.2017

तारीख फैसला
20.04.2017

उनवान

- 1- भूरेखों पिता छोटे खों कायमखानी निवासी कायमपुरा तह० फूलियाकलां
- 2-7 बरकतखों, बाबूखों, शहनाज, जमीला, लाली, नूर पिता कजोड़ खों कायमखानी निवासी कायमपुरा तहसील फूलियाकलां
- 8- शहनाज पत्नि कजोड़ खों कायमखानी निवासी कायमपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1-2 रमजानखों, गोरूखों पिता मोतीखों कायमखानी नि० कायमपुरा
- 3- हरनाथ पिता मोडू जाट निवासी बागथला तह० फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कायमपुरा पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 42 आ०न० 35/314 रकबा 0.28 है०, आ०न० 42 रकबा 0.21 है० कुल किता 2 रकबा 0.49 है० व खाता संख्या 30 की आ०न० 35 रकबा 0.37 है० कुल किता 01 रकबा 0.37 है० स्थित है। प्रार्थीगण की पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काशत करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही को जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम कायमपुरा पटवार मण्डल सांगरिया संवत् 2073 मे



d

76 खाता संख्या 42 आ0न0 35/314 रकबा 0.28 है0, आ0न0 42 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 रकबा 0.49 है0 व खाता संख्या 30 की आ0न0 35 रकबा 0.37 है0 कुल किता 01 रकबा 0.37 है0 का प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तदार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कायमपुरा पटवार हला सांगरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खखाता संख्या 42 आ0न0 35/314 रकबा 0.28 है0, आ0न0 42 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 रकबा 0.49 है0 व खाता संख्या 30 की आ0न0 35 रकबा 0.37 है0 कुल किता 01 रकबा 0.37 है0 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश जारी न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 400/- (अक्षरे चार सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्रदान करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रादेशी फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



a
(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पाला रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

a
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

9